न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्याः अपील/90/2015

दायर दिनांकः 28.9.2015

बाघ सिंह पुत्र तेजा सिंह जाति जटसिख निवासी 3 एपीएम तहसील अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(अपीलांटस)

बनाम

स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर

(रेस्पोडेंटस)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू. राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितः–

1. श्री अनिल गक्खड़ अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

:: निर्णय ::

दिनांकः– 08.7.2022

1. अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांटस बाघ सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ के समक्ष एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि पीरूसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी 24 एपीडी ने अपनी खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 3 एपीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा न. 603/418 के 4.00 बीघा रकबा की वसीयत अपीलांट के पक्ष में तस्दीक करवाई हुई है। पीरूसिंह का देहान्त हो चुका है इसलिए प्रार्थी के नाम से वसीयत अनुसार नामांतरण दर्ज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर सर्वप्रथम सार्वजनिक विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र प्रताप केसरी के 9 अक्टूबर 2009 के अंक में प्रकाशित करवाकर वसीयत प्रकरण को सार्वजनिक किया गया एवं उपराज पेश करने के लिए अवसर दिया गया। अपीलांट को वसीयत प्रार्थना पत्र की पुष्टि में साक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर दिया गया और पटवारी हल्का से विस्तृत रिपोर्ट ली गई। अपीलांट द्वारा अपने गवाहान पेश किये गये। तदुपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनचांक 10.11.2009 की रूह से प्रार्थी का वसीयत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2009 को खारिज किया गया। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 36/2010 पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 14.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड किया जाकर निर्देश दिये गये कि मृतक खातेदार के जायज वारिसान को सुनवाई का अवसर देकर अपीलांट को सुना जाये तथा वसीयत की जांच कर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.3.2012 द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2009 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये। उक्त आदेश विधि विरूद्व व प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतों के विपरीत पारित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय का आलौच्य निर्णय दिनांक 29.03.2012 खारिज किया जावे।
2. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल मिसल किया गया गया। रेस्पोडेंटस को जरिये सम्मन तलब किया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल कुमार गक्खड़ हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट की ओर से पैरोकार राज उपस्थित हुये। बहस उभय पक्ष सुनी गई।
3. सर्वप्रथम हम धारा 5 के प्रार्थना [illegible] हैं। धारा 5 मियाद के प्रार्थना पत्र बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के सा[illegible]स्तुत [illegible] पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन [illegible] आलौच्य आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को सुनवाई का समुचित [illegible] प्रदान नहीं कि[illegible]या। अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वर्ष 2012 में दिनांक 15.03.2012 [illegible] 23.03.2012 को व्यक्तिगत रूप से उप संज्ञ

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:39:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

690

Scanned by CamScanner

हुआ। अपीलांट द्वारा अधीनरथ न्यायालय से यह भी प्रार्थना कि कि वह अपने पक्ष में हुई वसीयत को प्रमाणित करने के लिए समस्त साक्ष्य पुनः प्रस्तुत करने को तैयार है लेकिन अधीनरथ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा अपीलांट को यही कहा गया कि आपकी पत्रावली अवलोकन में रखी गई । शीघ्र ही उसके कार्यवाही की जावेगी। अपीलांट की उक्त पत्रावली पर कोई नियमित तारीख पेशी मुकर्र नहीं की गई। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार के वारिसान को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा गुपचुप तरीके से प्रकरण का निस्तारण कर दिया। अपीलांट उक्त निर्णय की जानकारी दिनांक 11.9.2015 को हुई। जानकारी की दिनांक से बिना किसी देरी के अपील अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को माफ कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करे।

4. पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व संतोषजनक प्रतीत होता है, जिसका पैरोकार राज ने कोई जवाब पेश किया तथा ना ही दौराने बहस कोई मौखिक आपत्ति जाहिर की तथा ना ही कोई प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत किया है। प्रकरण में कानूनी बिन्दु निहित है। इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज करने की बजाय गुणावगुण के आधार पर किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि पीरूसिंह पुत्र रूपसिंह जाति राजपूत निवासी 24 एपीडी ने अपनची खातेदारी कृषि भूमि वाके चक 3 एपीएम तहसील अनूपगढ़ का मुरब्बा न. 603/418 के 4.00 बीघा रकबा की वसीयत अपीलांट के पक्ष में तस्दीक करवाई हुई है। पीरूसिंह का देहान्त हो चुका है इसलिए प्रार्थी के नाम से वसीयत अनुसार नामांतरण दर्ज किया जावे। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज कर सार्वजनिक विज्ञप्ति दैनिक समाचार पत्र में जारी कर ऐतराज पेश करने के लिए अवसर दिया गया। अपीलांट को वसीयत प्रार्थना पत्र की पुष्टि में साक्ष्य/सबूत पेश करने का अवसर दिया गया और पटवारी हल्का से विस्तृत रिपोर्ट ली गई। अपीलांट द्वारा अपने गवाहान पेश किये गये। तदुपरांत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 10.11.2009 की रूह से प्रार्थी का वसीयत प्रार्थना पत्र दिनांक 10.11.2009 को खारिज किया गया। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 36/2010 पेश की गई जिसमें माननीय न्यायालय ने दिनांक 14.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ रिमाण्ड किया कि मृतक खातेदार के जायज वारिसान को सुनवाई का अवसर देकर अपीलांट को सुना जाये तथा वसीयत की जांच कर पुनः निर्णय पारित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 29.3.2012 द्वारा पूर्व में पारित निर्णय दिनांक 10.11.2009 को यथावत रखे जाने के आदेश पारित किये गये। अधीनस्थ न्यायालय ने मृतक खातेदार के वारिसान को कोई नोटिस जारी नहीं किया तथा गुपचुप तरीके से प्रकरण का निस्तारण कर दिया। जो विधि विरूद्व तारीके से पारित किया गया होने से खारिज किया जावे तथा अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

6. पैरोकार राज ने दौराने बहस निवेदन किया कि जैर अपील निर्णय नियमानुसार व पूर्ण विधिक प्रकिया अपनाते हुए तथा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए ही पारित किया गया है। अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जावे।

हमने उभय पक्ष की बहस पर गहनता से चिंतन मनन किया व पत्रावली में उपलब्ध दस्तावजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन व अध्ययन किया। प्रकरण में पीरूसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में अपनी खातेदारी भूमि की वसीयत अपीलांट बाघ सिंह के पक्ष में निष्पादित की गई थी। उक्त वसीयत के आधार पर अपीलांटस बाघ सिंह द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ के समक्ष वसीयत के आधार पर उक्त रकबा राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बाबत प्रार्थना पत्र पेश किया गया। जिस पर निर्णय करते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट का उक्त प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया। जिसके विरूद्व अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अपील संख्या 36/2010 पेश की गई। उक्त अपील में न्यायालय हाजा ने दिनांक 14.01.2011 को निर्णय पारित करते हुए प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को [illegible] कि मृतक खातेदार के जायज वारिसान को सुनवाई का अवसर देकर अपीलांट [illegible] सुना जाये तथा वसीयत की जांच कर पुनः निर्णय पारित किया जावे। परन्तु [illegible] (भू.अ.) अनूपगढ़ द्वारा पुनः जैर अपील निर्णय दिनांक 29.03.2012 [illegible] करते समय न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय की दिनांक

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Lakha
Date: 2023.01.03 14:39:56 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
अनूपगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned by CamScanner

14.01.2011 में दिये गये निर्देशों की पालना नहीं की तथा निर्णय पारित करते समय मृतक खातेदार के जायज वारिसान को ना तो सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया गया तथा ना ही वसीयत की जांच की गई। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.), अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 29.3.2012 विधिसम्मत नही होने से निरस्त योग्य है।

अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ का निर्णय दिनांक 29.3.2012 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमाण्ड कर निर्देश दिये जाते है कि मृतक खातेदार पीरूसिंह के जायज वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनवाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.01.03 14:39:56 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner